बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)
आदेश

चूँकि बिस्कोमान के प्रबंधन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री राजनीति प्रसाद सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक तत्कालीन प्रभारी अधिप्राप्ति केन्द्र, मनेर/बिहटा के द्वारा अधिप्राप्ति वर्श 2010–11 में मुख्यालय आदे ों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई। जैसा कि अनुलग्न विवरणी में विनिर्दिश्ट है। इस अभियोगों के आधार पर हीं उन्हें मुख्यालय आदे । ज्ञापांक–स्था॰/08/बी॰/64 दिनांक 16.04.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

2. चूँकि श्री सिंह से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव का लिखित ब्यान अधिक से अधिक 30(तीस) दिनों के अन्दर अव य उपस्थापित करे तथा साथ हीं–

(क) यह भी बतावें कि क्या वे साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं।

(ख) उन साक्ष्यों का यदि कोई हो नाम एवं पता दें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में बुलाना चाहते हैं।

(ग) ऐसे अभिलेखों की प्रति/सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में पे । करना चाहते हों।

3. उन्हें निदे । दिया जाता है कि विहित अवधि के अन्दर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना लिखित स्पश्टीकरण श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(अधिप्राप्ति), बिस्कोमान, पटना को समर्पित करें जिन्हें इस मामलें में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद पत्र उपर विर्निदिश्ट तिथि को या इसके पहले प्राप्त नहीं होगा तो जॉच एक पक्षीय कर ली जाएगी।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः– **दिनांकः–**

प्रतिलिपिः–

1. श्री राजनीति प्रसाद सिंह, स॰भं॰प्र॰(नि॰), वरीय क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान्, पटना को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(अधिप्राप्ति), बिस्कोमान, पटना /आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदे । दिया जाता है कि वे अपनी जॉच भीघ्रता ीघ्र समाप्त कर संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आदे ।ार्थ उपस्थापित करें।

प्रबंध निदेशक